फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

विवेक सिंह बौहरा बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः– प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मुकदमा नम्बरः– 6 सन् 2020
RCMS No. 2020/00012

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 13.3.2020 | यह प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपीलान्ट श्री विवेक सिंह बौहरा निहालगंज कोठी, धौलपुर ने लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर) द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। अपील का अवलोकन कर मनन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। रेस्पोडेन्ट को अपील की प्रति भिजवाई जाकर टिप्पणी प्राप्त की जावे। अपीलान्ट को भी आगामी तारीख पेशी की सूचना भिजवाई जावे। पत्रावली वास्ते इंतजार टिप्पणी हेतु आगामी तारीख पेशी 23.03.2020 को पेश हो। <br><br> **(आर० के० जायसवाल)** <br> जिला कलक्टर, धौलपुर | 129-130 <br> 13.3.2020 |
| 8.7.2020 | कोरोना महामारी के फैलाव के कारण पत्रावली आज दिनांक को पेश हुई। अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर धौलपुर) से टिप्पणी प्राप्त हुई। लोक सूचना अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 24.1.2020 को आवेदन किया। जिसके संबंध में चाही गई सूचना उपखण्ड अधिकारी धौलपुर से सम्बन्धित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत उपखण्ड अधिकारी धौलपुर को स्थानान्तरित की गई। अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना का संबंध उपखण्ड अधिकारी धौलपुर से होने के कारण उन्हें पक्षकार बनाया जाना चाहिए जो कि नहीं बनाया गया है। | |

PTO

उपखण्डाधिकारी धौलपुर ने पत्रांक 278-79 दिनांक 18.2.2020 द्वारा उक्त अपील सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार धौलपुर को स्थानान्तरित कर दी। तहसीलदार धौलपुर द्वारा पत्रांक 84-85 दिनांक 03.03.2020 द्वारा सूचना उपलब्ध करवा दी है।

अतः उक्त सूचना हेतु लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार धौलपुर है। जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश क्रमांक प.1/राज0/सम्पर्क/RTI/2018/3377 दिनांक 15.5.2018 से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1), 5(2) व 19(1) के अन्तर्गत राजस्व विभाग से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने हेतु लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार धौलपुर के लिए प्रथम अपील अधिकारी उपखण्ड अधिकारी धौलपुर को नियुक्त किया है। तहसीलदार धौलपुर के विरूद्ध उपखण्डाधिकारी धौलपुर प्रथम अपील सुनने हेतु सक्षम अपील अधिकारी है। अतः अपील अपीलार्थ उपखण्डाधिकारी धौलपुर को स्थानान्तरित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर